उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

सीएनजी साधारण अनुबन्धित बस योजना–2019 हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र का बिक्री मूल्य रू0 5000/– एवं 18 % जीएसटी अतिरिक्त

निविदा हेतु निर्धारित कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम	समय
1	दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	दिनांक 30.01.2019
2	निविदा प्रपत्र को निगम वेबसाईट पर अपलोड किये जाने की तिथि	दिनांक 30.01.2019
3	ऑनलाईन निविदा भरने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15.02.2019 सायं 5:00 तक

downloaded from www.upsrtc.com

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001

दूरभाषःपी.बी.एक्स. 2622363, 2627111

फैक्सः 0522-2615526, 2628841, 26235786

पत्रांक रो/18–38 रो/अनु.बस/सीएनजी/11 दिनांक : जनवरी : 2019

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त/डिपो),

उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः– <u>सीएनजी साधारण अनुबन्धित बस योजना–2019 के सम्बन्ध में।</u>

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, जिसमें दिल्ली और दिल्ली के समीपवर्ती राज्यों अर्थात् राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा राज्य के भाग समाविष्ट हैं, में बढ़ते वायु प्रदूषण के दृष्टिगत गैर पारम्परिक ईंधन संचालित परिवहन प्रणाली को प्रभावी रूप से विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के घटक राज्यों के राज्य सरकारों के मध्य वर्ष 2010 में किये गये पारस्परिक परिवहन समझौतों के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक राज्यों के विभिन्न मार्गों पर सी.एन.जी. ईंधन से संचालित बसों के संचालन के लिये परमिट एवं फेरों की संख्या शासनादेश सं. 1985/30–4–2010–9(1)–08 दिनांक लखनऊ 02.11.2010 द्वारा निर्धारित की गई है। उक्त के अनुसार ही अनुमन्य मार्गो पर सी.एन.जी. बसों के अनुबन्ध एवं फेरों की संख्या का निर्धारण किया जायेगा।

निगम निदेशक मण्डल की 217वीं बैठक दिनांक 04.01.2018 के मद सं. 33 में पारित संकल्प के क्रम में सम्बन्धित क्षेत्र की निर्दिष्ट मार्गों पर आवश्यकता के अनुरूप अनुबन्धित बसों के संचालन के सम्बन्ध में सीएनजी साधारण अनुबन्धित बस योजना 2019 हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जाये :–

1– सीएनजी साधारण अनुबन्धित बस योजना 2019 के अन्तर्गत एन.सी.आर. क्षेत्र में अर्न्तराज्यीय मार्ग पर संचालन हेतु निजी वाहन स्वामियों द्वारा क्लस्टर बसों/ओन–ए–फ्लीट स्कीम के अन्तर्गत सी.एन.जी. बसों को अनुबन्ध के आधार पर संचालित कराया जाना है।

2– सी.एन.जी. साधारण अनुबन्धित बस योजना 2019 के अन्तर्गत एन.सी.आर. क्षेत्र में अर्न्तराज्यीय मार्ग पर संचालन हेतु अनुबन्धित की जाने वाली सी.एन.जी. बसों पर लागू बस बॉडी ए.आई.एस. कोड के अनुरूप बॉडी, सीट, लेग स्पेस, डोर, विन्डो आदि समस्त मानक निर्धारित होगें।

3– अनुबन्धित सी.एन.जी. बसों को गैस भरवाने के लिये जिस डिपो से बस सेवा संचालित होती है, उसके निकटतम सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन का दर लिया जायेगा। बस स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह क्रय की गई सी.एन.जी. गैस के बीजक को अपनी सी.एन.जी. बस के भुगतान बिलों के साथ प्रस्तुत करेगा।

downloaded from www.upsrtc.com

4— **अ—** योजना के अन्तर्गत बसों की सीट क्षमता (व्हील बेस पर आधारित), भुगतान दर, सी.एन.जी. औसत एवं प्रशासनिक शुल्क निम्नवत् प्रभावी होगा :—

वाहनों का विवरण	सी.एन.जी. रहित भुगतान दर प्रति कि.मी.	प्रति कि.मी. प्रति किग्रा. सी.एन.जी. का निर्धारित मानक (कि.मी. प्रति कि.ग्रा.)	प्रशासनिक शुल्क (रू. प्रति कि.मी.)
मिनी बस 40—45 सीटर	8.23	6.00	4.00
बड़ी बस 52—54 सीटर	11.06	4.50	4.50

उपरोक्त सीट क्षमता के अतिरिक्त अन्य सीट क्षमता की बस को इस योजना में अनुबन्धित नहीं किया जायेगा।

ब— सीएनजी साधारण बस योजना के अर्न्तगत संचालित सी.एन.जी. बसों का मुख्यालय द्वारा समय—समय पर प्रशासनिक शुल्क का पुननिर्धारण किया जायेगा।

स— पंजीकरण की तिथि से बस की आयु 05 वर्ष से अधिक होने के उपरान्त 60 पैसे प्रति कि.मी. बस स्वामी के भुगतान में कमी की जायेगी।

द— शुद्ध आय की गणना के उपरान्त प्रशासनिक शुल्क को घटाने के पश्चात् अवशेष धनराशि से द्वितीय पक्ष को निर्धारित भुगतान दर पर भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष को भुगतान के पश्चात् अवशेष धनराशि का 30 % भाग प्रोत्साहन के रूप में दिया जायेगा। प्रोत्साहन राशि की गणना प्रत्येक दो माह के आगणित भुगतान के पश्चात् किया जायेगा।

5— पूर्व में प्रचलित सीएनजी साधारण बस योजना के अनुरूप सीएनजी साधारण अनुबन्धित बस योजना 2019 में डीजल से सीएनजी किट द्वारा परिवर्तित बसें पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगी तथा वर्तमान सी.एन.जी. साधारण अनुबन्धित बस योजना 2019 के तहत दिनांक 01.04.2017 मॉडल से पूर्व की मॉडल की बस लगानें की अनुमति नहीं दी जायेगी। बस स्वामी द्वारा बस का प्रथमबार पंजीकरण कराया गया हो तथा सम्बन्धित बस पूर्व में निगम में अनुबन्ध में संचालित न हो।

6— योजना के अन्तर्गत सी.एन.जी. बस का कुल अनुबन्ध 08 वर्षों हेतु किया जायेगा, जिसमें प्रथम अनुबन्ध बस की पंजीयन की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिये किया जायेगा। प्रथम अनुबन्ध के उपरान्त अनुबन्ध का विस्तारीकरण दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर आगामी 03 वर्षों के लिये किया जायेगा अनुबन्ध की अवधि की गणना बस की पंजीयन तिथि से की जायेगी। अनुबन्ध अवधि पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिस्थापन की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

7— 05 वर्ष के पश्चात अनुबन्ध के विस्तारीकरण के पूर्व सी.एन.जी. बस की यान्त्रिक एवं भौतिक दशा का सत्यापन क्षेत्रीय स्तर पर करने के उपरान्त ही किया जायेगा तथा अवशेष अनुबन्ध अवधि में प्रत्येक वर्ष वाहन का भौतिक निरीक्षण किया जायेगा एवं भौतिक दशा ठीक पाये जाने पर ही वाहन को संचालन में लिया जायेगा। अनुबन्ध अवधि में प्रत्येक वर्ष द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि सी.एन.जी. अनुबन्धित बस का व्यापक बीमा किया जा चुका है एवं सी.एन.जी. बस के फिटनेस की वैधता है, साथ ही सी.एन.जी. बस के मार्ग कर का भुगतान किया जा चुका है। सी.एन.जी. बस के सी.एन.जी. लीकेज़ की जॉच नियमानुसार निर्धारित अवधि में कराया जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा, विपरीत स्थिति में सी.एन.जी. बस का संचालन स्थगित किया जायेगा।

downloaded from
www.upsrtc.com

8— (क) सी.एन.जी. वाहनों के अनुबन्ध की अवधि के दौरान ''स्वामित्व परिवर्तन'' केवल वाहन स्वामी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में वैध उत्तराधिकारी के पक्ष में अथवा वाहन स्वामी के जीवित रहते उसके स्वयं के अनुरोध पर उसके वैध उत्तराधिकारी के नाम, स्वामित्व परिवर्तन अनुमन्य होगा।

(ख) सी.एन.जी. वाहन स्वामी के अनुरोध पर अनुबन्ध की अवधि के मध्य वाहन का प्रतिस्थापन अनुबन्ध की अवशेष अवधि के लिये उच्च मॉडल की समान अथवा अधिक सीट क्षमता की सी.एन.जी. बस से प्रथम पक्ष की अनुमति से प्रतिस्थापन किया जायेगा।

9— सी.एन.जी. साधारण अनुबन्धित बस योजना 2019 के अन्तर्गत अनुबन्धित सी.एन.जी. बस सेवा हेतु निर्धारित मार्गो पर ऑनलाइन प्राप्त प्रस्तावों का बसों की रिक्तयों के आधार पर प्रथम आवत एवं प्रथम पावत के आधार पर मुख्यालय स्तर से परीक्षण कर मार्ग के आवंटन एवं अनुबन्ध की अनुमति प्रदान की जायेगी। अनुबन्ध में आवंटित मार्ग का मार्ग परिवर्तन, अनुबन्ध अवधि में नहीं किया जायेगा।

10— निविदा अपलोड करने के साथ बस स्वामी को रू. 25,000/— प्रति बस की दर से प्रतिभूति धनराशि के रूप में जमा करानी होगी। अनुबन्धित बस की अनुमति प्रदान करने पर बस स्वामी को निर्धारित समय के अन्दर अनुबन्ध हेतु बस उपलब्ध करानी होगी। निर्धारित समय सीमा 60 दिन एवं विलम्ब शुल्क रू. 10,000/— के साथ 30 दिवसों के समय विस्तार करने के उपरान्त भी बस उपलब्ध न कराने की दशा में प्रतिभूति धनराशि के रूप में जमा कराई गई धनराशि रू. 35,000/— (विलम्ब शुल्क सहित) ज़ब्त कर ली जायेगी। विशेष परिस्थिति में प्रबन्ध निदेशक के स्तर पर अधिकतम 30 दिवस तक समय विस्तार हे तु अतिरिक्त रू. 10,000/— विलम्ब शुल्क जमा कराते हुये बस उपलब्ध कराने की समय सीमा में विस्तार किया जा सकता है। इस प्रकार LOI जारी होने के तिथि से 120 दिवसों के उपरान्त समय सीमा का विस्तारीकरण नहीं किया जायेगा।

11— सी.एन.जी. साधारण अनुबन्धित बस योजना 2019 में निर्धारित समस्त मार्ग अन्तर्राज्यीय हैं, अतः योजना में अनुबन्ध की जाने वाली समस्त अनुबन्धित बसों को निगम के पक्ष में नामान्तरित किया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु वाहन स्वामी के अनुरोध पर वित्त पोषण संस्थां के साथ त्रिपक्षीय अनुबन्ध किया जा सकेगा, परन्तु किसी भी स्थिति में सम्बन्धित वित्त पोषण संस्था द्वारा दिये गये ऋण का उत्तरदायित्व परिवहन निगम का नहीं होगा, इसका स्पष्ट उल्लेख अनुबन्ध पत्र में किया जायेगा।

12— सी.एन.जी. साधारण अनुबन्धित बस योजना 2019 हेतु निविदा प्रपत्र दिनांक 30.01.2019 से निगम की वेबसाइट **www.upsrtc.com** पर ऑनलाइन भरे जायेगें। एक निविदा प्रपत्र में एक से अधिक बसों हेतु आवेदन किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र के मद मे रू0 5,000/— (18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त) एवं प्रतिबस प्रतिभूति के मद में रू. 25,000/— जमा कर निविदा पूर्ण की जा सकेगी। निविदा की धनराशि एवं प्रतिभूति धनराशि निगम मुख्यालय के ICICI बैंक मे संचालित खाता संख्या 628105031501 के IFSC कोड संख्या ICIC0006281 में RTGS के माध्यम से जमा करते हुए निविदा की धनराशि एवं प्रतिभूति धनराशि के Unique Transaction Reference विवरण के साथ निविदा ऑनलाइन आमंत्रित की जायेगी।

13— निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में प्राथमिकता के क्रम में अधिकतम 03 मार्गो का उल्लेख किया जा सकता है। उपलब्धता के आधार पर मार्ग का आंवटन किया जायेगा।

14— सी.एन.जी. साधारण अनुबन्धित बस योजना 2019 के लिए उपरोक्त प्राविधानों के अतिरिक्त अन्य समस्त नियम एवं शर्तें पूर्व में प्रचलित सीएनजी साधारण अनुबन्धित बस योजना के पत्रांक

downloaded from www.upsrtc.com

2843 रो/16–38 रो/अनु.बस/सीएनजी/11 दिनांक 08/16.09.2016 (प/अ) एवं 210 रो/17– 38 रो/अनु.बस/सीएनजी/11 दिनांक 19.01.2017 (प/ब) के समान लागू रहेगी।

15– सी.एन.जी. साधारण अनुबन्धित बस योजना 2019 में एवं अनुबन्ध की शर्तों में परिवर्तन एवं परिवर्धन का अधिकार निगम मुख्यालय में निहित होगा।

16– बस बॉडी का रंग **उत्तर प्रदेश परिवहन निगम** द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं साधारण बसों के समान लोगो सहित **उत्तर प्रदेश परिवहन निगम** दोनों साईड, आगे एवं पृष्ठ पर लिखा होना चाहिये।

17– सी.एन.जी. साधारण अनुबन्धित बस योजना 2019 में बसों को अनुबन्ध करने हेतु इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये एवं विशेष अभियान/कैम्प आयोजित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न : अनुलग्नक ''क'', ''ख'' एवं ''ग''

(डा0 बी.डी.आर.तिवारी)
अपर प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक समसंख्यक/समदिनांकित

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक, निगम मुख्यालय, लखनऊ
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन), निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. विधि परामर्शदाता/ वित्त नियन्त्रक, निगम मुख्यालय, लखनऊ
4. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्राविधिक), निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5. समस्त प्रधान प्रबन्धक/प्रबन्धक, निगम मुख्यालय, लखनऊ।
6. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(डा0 बी.डी.आर.तिवारी)
अपर प्रबन्ध निदेशक

downloaded from www.upsrtc.com

अनुलग्नक ''क''

सी.एन.जी. साधारण अनुबन्धित बस योजना 2019 हेतु चिन्हित मार्गों का विवरण

एन.सी.आर. क्षेत्र में सी.एन.जी. बसों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली, हरियाणा एवं राजस्थान राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन समझौतों में उल्लिखित एवं चिन्हित मार्गों पर परमिटों की संख्या के आधार पर निर्धारित फेरों के संचालन हेतु चिन्हित मार्गों का विवरण निम्नवत् है :–

क0सं0	पारस्परिक परिवहन समझौतो के अन्तर्गत चिन्हित मार्गो का विवरण	एकल फेरो की संख्या	परमिटों की संख्या
	उत्तर प्रदेश –दिल्ली मार्ग एवं उत्तर प्रदेश (नोएडा) –दिल्ली मार्ग		
1	बड़ौत–दिल्ली एयरपोर्ट वाया कश्मीरी गेट सरॉय कॉलेखॉ, नेहरूनगर, कालका जी मन्दिर, नेहरू प्लेस, चिराग दिल्ली, आई.आई.टी गेट, मुनिरका, बसंत विहार, महिपालपुर क्रासिंग, रंगपुरी	08	04
2	बडौत–दिल्ली एयरपोर्ट वाया कश्मीरी गेट, सरायं काले खॉ, रिंगरोड, मेडिकल, महरोली, कुतुब, अंधेरिया मोड, किसान गढ, महिपालपुर, रंगपुरी।	08	04
3	बडौत–दिल्ली, केन्द्रीय सचिवालय, वाया कश्मीरीगेट, राजघाट, दिल्ली गेट, विवेकानन्द मार्ग, रीगल।	08	04
4	बड़ौत–गुड़गॉव वाया दिल्ली कश्मीरी गेट, बरफखॉना, फैजरोड, रिंगरोड, धौलाकऑ	08	04
5	गाजियाबाद–शिवाजी स्टेडियम वाया महराजपुर बार्डर के0के0कासिंग, विकास मार्ग, आई0पी0मार्ग, मण्डी हाउस।	18	03
6	गाजियाबाद–एयरपोर्ट वाया आनन्द विहार, महाराजपुर वार्डर, एन0एच0–24,निजामुद्दीन ब्रिज, सरायॅ कालेखॉ, रिंगरोड, धौलाकुऑ।	36	18
7	गढ़–दिल्ली	16	08
8	हापुड़–शिवाजी स्टेडियम वाया महाराजपुर वार्डर, के0के0कासिंग, विकास मार्ग, आई0पी0रोड, मण्डी हाउस।	18	09
9	मेरठ–फरीदाबाद वाया दिल्ली, एन0एच0–24, निजामुद्दीन ब्रिज, सरायॅ कालेखॉ, धौलाकुऑ।	04	02
10	मेरठ–गुडगांव वाया दिल्ली, एन0एच0–24, निजामुद्दीन ब्रिज, सरायॅ कालेखॉ, धौलाकुऑ।	04	02
11	मेरठ–दिल्ली वाया केन्द्रीय सचिवालय, महराजपुर बार्डर के0के0कासिंग, विकास मार्ग, आई0पी0मार्ग, मण्डी हाउस।	24	12
12	मेरठ–नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाया महराजपुर बार्डर के0के0कासिंग, विकास मार्ग, आई0पी0मार्ग, मण्डी हाउस।	24	12
13	मेरठ–नेहरू प्लेस वाया एन0एच0–24, सरॉय कॉलेखॉ, नेहरूनगर, कालका जी मन्दिर।	24	12
14	मेरठ–रेवाडी वाया दिल्ली महाराजपुर वार्डर, एन0एच0–24,निजामुद्दीन ब्रिज, सरायॅ कालेखॉ, रिंगरोड, धौलाकुऑ।	02	02

downloadfrom www.upsrtc.com

15	मेरठ–एयरपोर्ट वाया मेहरौली, एन0एच0–24,निजामुद्दीन ब्रिज, सरायॅ कालेखॉ, रिंगरोड, धौलाकुऑ।	24	12
16	नरौरा–नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनन्द विहार, महराजपुर बार्डर के0के0क्रासिंग, विकास मार्ग, आई0पी0मार्ग, मण्डी हाउस।	08	04
17	नरौरा–दिल्ली वाया शाहदरा	08	04
18	नरौरा–केन्द्रीय सचिवालय वाया सी0जी0ओ0 महराजपुर बार्डर के0के0क्रासिंग, विकास मार्ग, आई0पी0 मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग।	08	04
19	नरौरा–नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाया आनन्द विहार, महराजपुर बार्डर के0के0क्रासिंग, विकास मार्ग, आई0पी0 मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग।	08	04
20	नरौरा–एयरपोर्ट वाया नेहरू प्लेस, महाराजपुर वार्डर, एन0एच0–24, निजामुद्दीन ब्रिज, सरायॅ कालेखॉ, रिंगरोड, धौलाकुऑ।	04	02
21	नरौरा–एयरपोर्ट वाया मेहरौली, एन0एच0–24, निजामुद्दीन ब्रिज, सरायॅ कालेखॉ, रिंगरोड, धौला कुऑ।	04	02
22	एनटीपीसी–शिवाजी स्टेडियम वाया महराजपुर बार्डर के0के0क्रासिंग, विकास मार्ग, आई0पी0 मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग।	28	01
23	एनटीपीसी–एयरपोर्ट वाया नेहरू प्लेस, महाराजपुर वार्डर, एन0एच0–24, निजामुद्दीन ब्रिज, सरायॅ कालेखॉ, रिंगरोड, धौलाकुऑ।	14	04
24	मेरठ–दिल्ली	158	10
25	मुरादनगर – असालतपुर – दिल्ली	16	4
26	अमीन नगर – सराय– दिल्ली	10	5
27	बागपत–दिल्ली	26	8
28	बड़ौत–नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाया कशमीरी गेट, राजघाट, दिल्ली गेट	8	4
29	बड़ौत–नोएडा वाया दिल्ली, लोनी रोड क्रासिंग, नंद नगरी, आनन्द ग्राम, सीमापुरी, सूर्या नगर, आनन्द विहार आईएसबीटी, एनएच 24, कल्याणपुरी, दल्लूपुरा	8	4
30	बड़ौत–फरीदाबाद वाया दिल्ली, कशमीरीगेट, सराय काले खां, आश्रम, बदरपुर बार्डर	8	4
31	बड़ौत–दिल्ली वाया बहलगढ नरेला, सिंध बार्डर, अलीपुर, जीटीके बाईपास, आउटर रिंग रोड	12	6
32	बड़ौत–पलवल वाया दिल्ली, कशमीरी गेट, सराय काले खा, आश्रम, बदरपुर बार्डर	12	6
33	चांदी नगर–दिल्ली	10	5
34	छपरौली–दिल्ली	30	5
35	छपरौली–दिल्ली	10	5
36	जेवर–दिल्ली	3	1
37	कैराना–दिल्ली	12	6
38	कैराना–दिल्ली	8	4

downloaded from www.upsrtc.com

39	कांधला–दिल्ली	20	10
40	खेकड़ा–दिल्ली	8	2
41	कोताना–दिल्ली	20	10
42	कोताना–केन्द्रीय सचिवालय वाया सीजीओ, कशमीरी गेट, राजघाट, दिल्ली गेट	4	2
43	मोदीनगर–दिल्ली वाया शाहदरा बार्डर	10	2
44	पाटला–दिल्ली	4	1
45	रटोल–दिल्ली	20	5
46	शुक्रताल–दिल्ली	2	1
47	टाण्डा–दिल्ली	8	4
48	टाण्डा–दिल्ली	22	11
	योगः–	757	258
उत्तर प्रदेश –हरियाणा मार्ग एवं उत्तर प्रदेश (नोएडा) –हरियाणा मार्ग			
49	कासना–फरीदाबाद	20	05
50	मेरठ–गुडगांव	14	07
51	नोएडा सेक्टर–62–गुडगांव	20	05
52	बड़ौत–कांधला–पानीपत	20	3
53	बड़ौत–सोनीपत	36	2
54	सोनीपत–बागपत	36	0
55	बड़ौत–फरीदाबाद वाया कशमीरीगेट, सराय काले खां	8	4
56	बड़ौत–गुड़गांव वाया कशमीरीगेट, धौलाकुँआ	8	4
57	बड़ौत–कशमीरीगेट, नरेला वाया बहालगढ़	12	5
58	बिनौली–बड़ौत–कशमीरी गेट, अलवर	4	2
59	बड़ौत–पलवल वाया कशमीरी गेट	12	6
60	बड़ौत–अलवर वाया गुड़गांव	6	3
61	कासना–गुड़गांव	8	4
62	हस्तिनापुर–सोनीपत वाया दौराला–बड़ौत	24	12
63	खुर्जा–जेवर–गुड़गांव	2	1
64	सिकन्द्राबाद–जेवर–वल्लभगढ़	4	2
65	छपरौली–दिल्ली–फरीदाबाद	12	6
	योग	246	71
	उत्तर प्रदेश – राजस्थान मार्ग		
66	बिनौली–बड़ौत–कशमीरी गेट–अलवर	4	4
67	बड़ौत–अलवर वाया गुड़गांव	6	6
	योग	10	10
	कुल योग	1013	339

downloaded from www.upsrtc.com

अनुलग्नक ''ख''

एन.सी.आर. क्षेत्र में सी.एन.जी. बसों की निविदा हेतु निर्धारित कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम	समय
1	दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	दिनांक 30.01.2019
2	निविदा प्रपत्र को निगम वेबसाईट पर अपलोड किये जाने की तिथि	दिनांक 30.01.2019
3	ऑनलाईन निविदा भरने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15.02.2019 सायं 5:00 तक

downloaded from www.upsrtc.com

अनुलग्नक ''ग''

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

<u>सीएनजी साधारण बसों के अनुबन्धन हेतु आवेदन प्रपत्र</u>

- **साधारण बस**– 40 से 45 सीट एवं 52 से 54 सीट

फार्म संख्याः–   मूल्य रु0 5,000/– + (18% जीएसटी अतिरिक्त)

अधिकारी के हस्ताक्षर

1. आवेदन देने वाले (बस मालिक) का पूरा नाम एवं पता

....

2.1 आवेदनकर्ता की विधि प्रास्थित (हैसियत) तथा व्यक्तिगत पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड कम्पनी आदि। यदि फर्म कम्पनी की ओर से आवेदन दिया जा रहा है तो (पार्टनरशिप डीड अथवा आर्टिकल और मेमोरेन्डम ऑफ एसोशियेशन की प्रमाणित प्रति संलग्न करें (स्पष्ट करें)।

....

2.2 क्या पूर्व में उ0प्र0परिवहन निगम में अपनी बस किराये पर चलाई है। यदि हों तो बस संख्या, डिपो का नाम, पूर्व में यदि उस पर कोई पेनाल्टी लगी हो तो उसका पूर्ण विवरण

....

(3) यदि आपके पास वर्तमान में बस है, तो निम्न सूचना दें:–

3.1 बस का रजिस्ट्रेशन नम्बर ....

3.2 मूल रजिस्ट्रेशन की अवधि एवं तिथि ....

3.3 रजिस्ट्रेशन का स्थान ....

3.4 बस का विवरण ....

(अ) मॉडल ....

(ब) मेक ....

(स) सीटों की क्षमता ....

(द) इंजन नम्बर ....

(य) चेसिस नम्बर ....

(र) तिथि जब तक रोड टैक्स जमा किया जा चुका है।

....

(ल) फिटनेस वैधता की तिथि ....

(व) इन्श्योरेन्स का विवरण ....

(क) कम्प्रोहेन्सिव ....

(ख) थर्ड पार्टी ....

(ग) वैधता की अवधि ....

downloaded from www.upsrtc.com

उपरोक्त प्रमाण पत्र हेतु मूल रजिस्ट्रेशन की प्रति तथा अन्य कागजात की प्रति संलग्न करें।

3.6 रजिस्ट्रेशन अधिकारी से रोडटैक्स, यात्रीकर, मालकर का अदेयता प्रमाण–पत्र ....
....

3.7 क्या बस को कोई परमिट प्राप्त है (पूर्ण विवरण दें) यदि परमिट प्राप्त नहीं हो तो संबंधित परिवहन अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

....

3.8 कृपया उपरोक्त संबंध में यदि आपको टेण्डर इस श्रेणी में आता है तो निम्नवत् स्पष्ट करें।

(i) निजी बस संचालकों के समूह / कम्पनी / समिति का नाम

....

(ii) स्थापना का विवरण पंजीकरण की संख्या दिनांक

....

(iii) उपरोक्त बिन्दु–1 पर वर्तमान में अभिलेख प्रस्तुत किए जा रहे / पूर्व में स्वीकृत टेण्डरों की संख्या

....

(iv) समूह / कम्पनी / समिति के अधिकृत व्यक्ति का पदनाम, नाम मोहर सहित।

....

(v) इनकम टैक्स क्लीयरेंस का विवरण

....

3.9 क्षेत्र जिसमें बस लगाना चाहते हैं ....

3.10 **वरीयता क्रम में मार्गो का विवरणः–**

क्षेत्र का नाम ....

वरीयता क्रम	**मार्ग का नाम**	**बसो की संख्या**
1		
2		
3		
4		
5		

नोटः– उपरोक्त वरीयता क्रम निगम पर बाध्य नहीं होगा तथा आवेदनकर्ता अधिक बसों हेतु आवेदन करने के लिये पृथक से सूची संलग्न कर सकते हैं।

4. प्रतिभूति धनराशि का विवरण :– आवेदनकर्ता को आवेदन प्रपत्र जमा करने के साथ रू. 25,000 / – प्रति बस की दर से प्रतिभूति धनराशि के रूप में जमा करानी होगी।

downloaded from www.upsrtc.com

डी.डी./रसीद सं. .... दिनांक .... मूल्य ....

बैंक का नाम .... बैंक का पता ....

4.1 आवेदनकर्ता निर्धारित धनराशि क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय अथवा मुख्यालय स्थित कैश काउन्टर पर जमा करने के पश्चात आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें अथवा वेबसाईट से डाऊनलोड किये गये आवेदन प्रपत्र धारक आवेदन प्रपत्र जमा करने के पूर्व निर्धारित धनराशि मुख्यालय स्थित कैश काउन्टर पर जमा करें तथा प्राप्ति रसीद मूल रूप में आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

4.2 आवेदनकर्ता निविदा प्रपत्र व प्रतिभूति धनराशि एवं आवेदन प्रपत्र (वेबसाइट www.upsrtc.com से डाउनलोड) के मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमशः सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक अथवा सचिव निगम, उ.प्र.रा.स़.परिवहन निगम के पक्ष में जारी, संलग्न करें।

4.3 समस्त नियम व शर्तें मुख्यालय के परिपत्र सं0 ..../38 रो/अनु.बस/सीएनजी/11 दिनांक ....2018 के अनुसार लागू होंगी।

उपरोक्त मे जहाँ वांछित किया गया हो पूर्ण सूचना भरें।

मैं/हम शपथपूर्वक यह घोषण करता हूॅ/करते हैं कि ऊपर मेरे/हमारे द्वारा दिये विवरण सही तथा सत्य है।

ह0/बस मालिक/आवेदनकर्ता

downloaded from www.upsrtc.com